BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIII | 28th November 2012 | No. 12

आनलाइन फार्म 'सी' निर्गमन हेतु चैम्बर में कार्यशाला

कार्यशाला को सम्बोधित करते वाणिज्य-कर आयुक्त श्री सुधीर कुमार। उनकी दाँयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया एवं पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान।

वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने भरोसा दिलाया है कि 31 अक्टूबर तक आनलाइन फार्म भरने में आ रही दिक्कतों को दूर कर लिया जायेगा। इसमें वांछित संशोधन व सुधार भी कर दिया जायेगा।

8.10.2012 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य कर विभाग की तरफ से आनलाइन फार्म सी आवेदन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिसमें विभागीय प्रधान ने बताया कि 5 जुलाई से सुविधा शुरू हुई है। उसके बाद से हर महीने इसमें 50 फीसद की दर से वृद्धि हो रही है। अगस्त में सुविधा के माध्यम से सूबे के व्यापारियों ने 6400 करोड़ रुपये का माल बाहर से मंगवाया। पिछले शुक्रवार को भी 331 करोड़ का माल मंगाया गया। उम्मीद है कि त्योहारों के कारण अक्टूबर महीने में यह आंकड़ा 8 हजार करोड़ को पार कर जायेगा। बताया कि इसे आरटीआइ में भी शामिल किया गया है। आनलाइन आवेदन के सात दिनों के भीतर फार्म सी मिल जायेगा। प्रधान सचिव ने बताया कि 16 अक्टूबर तक हर प्रमंडल में व्यापारियों के साथ इस तरह की बैठकें आयोजित की जायेंगी।

अतिथियों का स्वागत करते हुए चैम्बर के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग ने समय-समय पर व्यापारियों को कई तरह की सुविधाएं दी है। फार्म सी को आनलाइन करने के बाद से व्यापारियों को इसके लिए अंचल का चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। इस दौरान व्यापारियों ने विभागीय प्रमुख व साफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी टीसीएस के प्रतिनिधि के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं । जिसका टीसीएस के प्रतिनिधियों ने तत्काल समाधान भी बताया। कुछ व्यापारियों को इस बात की शिकायत थी कि आनलाइन फार्म सी भरने में हुई चूक में सुधार नहीं होता है।

मौके पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त प्रशासन दिगम्बर तिवारी सहित चैम्बर और वाणिज्य कर विभाग के कई प्रतिनिधि मौजूद थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.10.2012)

जीएसटी पर अब बनेंगी दो उप समितियां

केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की अंतिम रूप-रेखा से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दो उप समितियों की स्थापना की घोषणा की। ये दोनों समितियां तेजी से काम करेंगी और 31दिसंबर तब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। उसके बाद जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगी।

वित्त मंत्री पी चिंदबम ने संवाददाताओं को बताया, "हमने जीएसटी पर खुली और स्पष्ट बातचीत की है, जिसमें यह स्पष्ट था कि दो मुद्दों को अभी सुलझाया जाना बाकी है, जिसमें एक सीएसटी के नुकसान की भरपाई और दूसरा जीएसटी की रूप-रेखा है।" अगस्त में वित्त मंत्री का

पदभार संभालने के बाद पहली बार चिदंबरम जीएसटी पर अधिकार प्राप्त समिति से मिले। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर व्यापक सहमति है, लेकिन कुछ मुद्दों को अभी सुलझाया जाना बाकी है।"

उन्होंने कहा, "दोनों समितियों की अध्यक्षता राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद इस पैनल में मंत्री शामिल होंगे।" राज्य सरकारें चाहती हैं कि जीएसटी की राह पर कदम आगे बढ़ाने के पहले केंद्र सरकार सीएसटी के मुआवजे के मसले का समाधान करे। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में सीएसटी मुआवजे और विवाद निपटारा प्राधिकरण के गठन के मसले पर चर्चा हुई।

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'राज्य सरकारें सीएसटी मुआवजे पर अपनी मांग के मसले का समाधान चाहती हैं। अगर मांगें नहीं पूरी हुईं तो राज्य जीएसटी मामले पर आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे ।

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 9.11.2012)

विशेष राज्य के दर्जे का हक प्राप्त करने हेतु बिहारवासी कृतसंकल्पित - चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार की आम जनता को 4 नवम्बर 2012 को विशेष राज्य के दर्जे के हक के लिए अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करने एवं अपने इस न्यायोचित अधिकार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्प लेने के लिए बधाई दी और हार्दिक आभार व्यक्त किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ०पी० साह ने कहा कि बिहार के प्रति केन्द्र सरकार के पक्षपात एवं उपेक्षापूर्ण रवैये ने बिहार की जनता को अपने हक की आवाज उठाने के लिए विवश कर दिया था। आज बिहार की जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि इस विकासोन्मुखी राज्य को विकसित राज्य के श्रेणी में देखने के लिए बिहारवासी आतुर ही नहीं बल्कि कृतसंकल्पित भी हैं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार के समुचित औद्योगीकरण सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा करेगा जिससे राज्य में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा राज्य का आर्थिक एक औद्योगिक पिछड़ापन समाप्त हो पायेगा।

उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र की सरकारों ने दशकों से बिहार की अनदेखी की है। कुछ मामलों में तो बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों से भी काफी पिछड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासनकाल के समय से बिहार के साथ सौतेला बर्ताव किया गया जिसके कारण यह राज्य पिछड़ता चला गया। आजाद भारत की केन्द्र सरकारों ने भी बिहार को पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया। अविभाजित बिहार के समय भाड़ा समानीकरण जैसे केन्द्रीय नीतियों से यह प्रान्त औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से और अधिक पिछड़ता चला गया।

उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के समग्र विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उक्त दर्जा दिया जाना अत्यावश्यक है। चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि बिहार की समस्त जनता के साथ-साथ राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं।

.....तो फिर क्यूं नहीं विशेष राज्य का दर्जा - साह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ० पी० साह कहते हैं कि हम तो मानव विकास सूचकांक में भी देश में निचले पायदान के राज्य में शामिल हैं तो फिर क्यूं नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहा केंद्र? हाल यह है कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में बिहार की हिस्सेदारी मात्र 1.22 प्रतिशत है। ऐसे में बिहार पर सोचने की जरूरत नहीं है क्या? बिहार के साथ हो रहे अन्याय को बिहार चैम्बर आफ कामर्स ने दस्तावेजी स्वरूप दिया है।

श्री साह ने कहा कि बिहार में कुल केंद्रीय निवेश 2004-05 में 0.65 फीसद था जो 2009-10 में बढ़कर मात्र 1.39 प्रतिशत पर पहुंचा। क्या यह बिहार के साथ अन्याय नहीं है? राज्य में बिजली की औसत मांग 3500 मेगावाट ही है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिहार को सिर्फ 1800 मेगावाट बिजली ही आवंटित है। देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 778.71 यूनिट है जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति औसत खपत 122.21 यूनिट ही है। (साभार : दैनिक जागरण, 3.11.12)

एक अप्रैल से और महंगी होगी बिजली

एक अप्रैल 2013 से बिजली फिर महंगी होगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष यूएन पंजीयार के समक्ष बहुवर्षीय टैरिफ याचिका दायर की है। ऐसी याचिका पहली बार पेश हुई है। यह तीन वर्षों के लिए है। उपभोक्ताओं को जानकारी रहेगी कि कंपनी की आगे की क्या योजना है।

वर्तमान विद्युत दर (शहरी घरेलू)	
यूनिट	दर (रुपये में)
1-100	2.60
101-200	3.20
201-300	3.85
300 से अधिक	4.90
शहरी कामर्शियल	
यूनिट	दर
1-100	4.70
101-200	5.00
201 से अधिक	5.40

होल्डिंग कंपनी ने साउथ बिहार स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर संचरणं कंपनी की अलग-अलग टैरिफ याचिका दायर की है। चारों कंपनियों की कार्य योजना, लक्ष्य, वर्तमान स्थिति, विद्युत क्षति को कम करने के उपाय आदि को विस्तार से रखा गया है।

अब आयोग कंपनी की टैरिफ याचिका का अध्ययन कर आम जन की राय लेगा। इसके लिए जन अदालत लगाई जाएगी। उसके बाद आयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत दर निर्धारित करेगा। बिहार में लगातार दूसरे वर्ष समय पर टैरिफ याचिका दायर हुई । 2012-13 में आयोग ने 12.01 प्रतिशत, 2011-12 में 19 प्रतिशत तथा 2010-11 में पांच पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत दर में वृद्धि की थी।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.11.2012)

मानक पैक में ही बिकेगी १९ वस्तुएं

अब कंपनियों को ब्रेड, बिस्कुट और चाय जैसे रोजमर्रा के 19 उत्पादों को सरकार की ओर से तय मानकों वाले पैक में ही बेचना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। 1 नवम्बर से प्रभावी नए नियम विनिर्मित एवं पैकेजिंग की गई चीजों तथा आयातित वस्तुओं पर लागू होंगे। अब कंपनियों को बच्चों के खाने-पीने की चीजें, ब्रेड, मक्खन, कॉफी, चाय, अनाज, दाल, दूध, पाउडर, नमक, खाद्य तेल, चावल और आटा, शीतल पेय, पेयजल, सीमेंट तथा पेंट जैसे उत्पादों को केवल मानक आकार के पैक में ही बेचना होगा। (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 2.11.2012)

व्यापारियों को रोज चेक करना होगा ई-मेल

राज्य के व्यापारियों को अगर कारोबार करना है तो उन्हें अब कम्प्यूटर सीखना होगा। बिना कम्प्यूटर सीखे अब कारोबार नहीं हो पाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि बिना व्यापारियों के ई-मेल आईडी के नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन्होंने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनके लिए भी ई-मेल आईडी विभाग को देना अनिवर्य कर दिया गया है।

अब वाणिज्य कर विभाग के प्रपत्र के अलावा हर प्रकार की विभागीय नोटिस भी मेल पर भेजी जाएगी। इसके बावजूद अगर वे नहीं सीखते हैं तो भविष्य में कारोबार करने में उन्हें परेशानी होगी। वाणिज्य कर विभाग ने निर्णय लिया है कि वैसे व्यापारी जो कारोबार के लिए विभागीय प्रपत्र फार्म 'सी' का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो गया है। सी फार्म इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों द्वारा मैनुअल रिटर्न फाइल स्वीकृत नहीं होगा। विभाग ने वैसे व्यापारी जो दूसरे राज्यों से सामान मंगवाकर कारोबार करते हैं उनके लिए ई-रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 31.10.12)

रिटर्न की जांच के बाद ही ऑनलाइन 'सी' फार्म

टैक्स की चोरी अब संभव नहीं होगी। सरकार इसके लिए जल्द ही ऑटो पायलट सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के शुरू होते ही 'सी' फार्म लेने की प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटराइज हो जाएगी। इसके लिए आवदेन करते ही यह साफ हो जाएगा कि व्यवसायी ने पूर्व में किए गए कारोबार का टैक्स एवं रिटर्न जमा किया है या नहीं। इंटर स्टेट बिजनेस करने वाले हर व्यापारी के लिए ई-पेमेंट और ई-रिटर्न तो पहले ही अनिवार्य कर दिया गया। टैक्स का भुगतान किये बिना दूसरे राज्य से व्यापार करने वाले व्यापारियों को 'सी' फार्म मिलेगा ही नहीं।

ऑटो पायलेट सिस्टम के माध्यम से फार्म 'सी' लेने के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब कम्प्यूटर ही उनके कारोबार का मिलान दिए गए रिटर्न से करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो फार्म 'सी' मिलेगा अन्यथा कम्प्यूटर ही उनके आवेदन को रद्द कर देगा। हालांकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी की है कि किसी दूसरे कारण से आवेदन रद्द किया गया तो व्यापारियों को फार्म सी मिल सके । लेकिन इसके लिए उन्हें अपना पूरा बही खाता संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने यह व्यवस्था पहले से काम कर रहे व्यापारियों पर लागू करने का आदेश दिया है। नये व्यापारी अगर बाहर से सामान मंगवाना चाहते हैं तो उन्हें सीधे अंचल प्रभारी से मिलकर फार्म 'सी' लेने के लिए आवेदन करना होगा। अंचल प्रभारी व्यापारियों की पूरी जानकारी लेने के बाद ही फार्म 'सी' देने के लिए स्वीकृति देंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.11.2012)

केंद्र एफडीआई पर संशोधन रखेगा

खुदरा व्यापार क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए कानून में संशोधन करने के बावजूद सरकार को राहत नहीं मिली है। अब उसे ये संशोधन आगामी शीत सत्र में संसद में रखने होंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगा।

न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा तथा ए. आर. दवे की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को ये संशोधन संसद में पेश करने दीजिए। यदि पारित हो गए तो ठीक, अन्यथा इसका खतरा सरकार खुद भुगतेगी। अदालत ने मामला 22 जनवरी 2013 तक स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां तक की जब याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने कहा कि सरकार ने कई बार कानून में संशोधन किया है लेकिन संसद में पारित नहीं कराया। अटार्नी जरनल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने फेमा के रेग्युलेशन, 2012 में विदेशी व्यक्तियों द्वारा देश में सुरक्षा देने के मुद्दे पर 30 अक्टूबर को संशोधन की तीन अधिसूचनाएं जारी की। (साभार : हिन्दुस्तान, 6.11.12)

बैंकों में जनवरी से नई चेक बुक

सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि एक जनवरी 2013 से वह सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त नए मानकों पर खरे उतरने वाले चेक ही स्वीकार करेगा। बैंक ने कहा है कि यह फैसला रिजर्व बैंक के निर्देश के तहत लिया गया है। स्टेट बैंक ने इसके लिए अपनी सभी शाखाओं से कहा है कि वह ग्राहकों को अब केवल सीटीएस 2010 मानकों के अनुरूप ही चेक जारी करें। रिजर्व बैंक ने अन्य सभी बैंकों को भी नई चेक बुक जारी करने की सलाह दी है। निजी क्षेत्र सहित अन्य बैंकों ने भी गैर सीटीएस मानकों वाले चेक समाप्त करना शुरू कर दिया है और नई प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ने इस संबंध में जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि उसकी सभी शाखाएं अब केवल सीटीएस 2010 मानकों के अनुरूप ही चेकबुक जारी करेंगी। चेक में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और उनका मानकीकरण करने के उद्देश्य से सीटीएस-2010 मानक तैयार किए गए थे।

बैंक ने सूचना में कहा है "बिना सीटीएस मानकों वाले चेक 31 दिसम्बर 2012 के बाद बैंकिंग तंत्र में नहीं होंगे और इन्हें क्लीयरिंग प्रणाली में स्वीकार नहीं किया जाएगा।" स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि वह अपनी बैंक शाखाओं से संपर्क कर सीटीएस 2010 मानक वाली चेकबुक जारी करवाएं और अपनी मौजूदा बिना सीटीएस वाले चेक बैंक को लौटा दें । (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.11.2012)

बिहार में सिगरेट पर बढ़ेगा कर

बिहार सरकार राज्य में सिगरेट पर करों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार सिगरेट पर मूल्य वर्धित कर (वैट) कम से कम 25 फीसदी तक करने की योजना बना रही है। साथ ही, राज्य सरकार ने गुटखे पर प्रतिबंध को भी कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। राज्य के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "बिहार सरकार ने सिगरेट पर करों में इजाफे की योजना बनाई है। हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। बीते साल तक राज्य में सिगरेट पर 13.5 फीसदी वैट लगाता था, जिसे हमने इस साल बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने सिगरेट पर कम से कम 65 फीसदी कर लगाने की सिफारिश की है, इसीलिए हमने इसमें और इजाफा करने की योजना बनाई है।" राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले साल राज्य सरकार सिगरेट पर वैट 25% तक कर सकती है। मोदी ने कहा, "इस बारे में हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि हम इसे दूसरे राज्यों के बराबर करने के बारे में सोच रहे हैं। राजस्थान में तो सिगरेट पर 50फीसदी वैट लगाया जाता है। वहीं, कई राज्य इस पर 25 फीसदी तक वैट लगाते हैं।"

मोदी ने कहा, "बिहार में तंबाकू का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा रहा है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसके लिए हमने तम्बाकू उत्पादों पर करों में जबरदस्त इजाफा करने की योजना बनाई है। साथ ही, कई तंबाकू उत्पादों पर तो राज्य सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया है। इससे हमें उम्मीद है कि राज्य में तम्बाकू इस्तेमाल में कमी आएगी।" इस वक्त राज्य में करीब 54 फीसदी आबादी तंबाकू का सेवन करती है। मोदी ने कहा, "इसमें भी करीब 70 फीसदी लोग गुटखे और तंबाकू का सेवन करते हैं। इसीलिए हमने इस पर सबसे पहले कदम उठाने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने बिहार में गुटखे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इससे हमें राजस्व में 20 करोड़ रुपये की हानि होगी, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने यह कदम उठाया है।"

उन्होंने कहा 'राज्य सरकार ने हर जिले में इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए एक उड़न दस्ते का गठन किया है। यह दस्ता हर हफ्ते अपनी गतिविधियों के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित करता है। साथ ही, राज्य सरकार के स्तर पर हर महीने इस बारे में खास समीक्षा होती है।' (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 9.11.2012)

बैंक लोन दबाकर बैठे तो खैर नहीं

राज्य पुलिस अब उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देगी जिन्होंने बैंक से लोन तो लिया लेकिन चुकाना भूल गए। पुलिस अब उनके खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट लेकर उनसे बैंक लोन की राशि की उगाही में मददगार होगी। इस दौरान राज्य पुलिस ऐसे लोगों के बारे में यह भी पता लगाएगी कि उनकी आमदनी के स्रोत क्या है और उन्होंने कहां -कहां और कितना पैसा दबा रखा है। बिहार में इस तरह का यह पहला ऑपरेशन है।

पुलिस अधिकारी मानते हैं कि इस अभियान से कालेधन के बारे में भी जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार बैंक की तरफ से भी सर्टिफिकेट केस किए जाते हैं और नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहां से ऐसे मामलों में डिस्ट्रेस वारंट लिए जाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि ऐसे लोगों के बारे में भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर वाहन आदि के लिए लोन ले रहे हैं। इस बात को भी परखा जाएगा कि संगठित आपराधिक गिरोह के लोगों की इसमें क्या भूमिका है। इधर मुख्यालय ने तय किया है कि पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट के तहत अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 27.09.2012)

दूसरा विशेष शोरूम पटना में खोलेगी हीरो साइकिल्स

हीरो साइकिल लिमिटेड के को-चेयरमैन पंकज मुंजाल ने कहा है कि बिहार सरकार की ओर से अगर जमीन मिल जाये तो हम यहां कारखाना लगाने में देरी नहीं करेंगे। अगले माह पटना में कंपनी विशेष शोरूम भी खोल देगी, जो देश का दूसरा शोरूम होगा। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की रुचियों को ध्यान में रख हीरो साइकिल कई नये प्रयोग करने जा रही है। इस बाजार का चेहरा नये ढंग से गढने का संकेत देते हुए पंकल मुंजाल ने बताया कि हम बिहार में कारखाना लगाने के लिए प्रयासरत हैं। बियाडा की ओर से अगर जमीन मिल जाती है तो शीघ्र ही करखाना लगा देंगे। हम विश्वस्तरीय कारखाना लगाना चाहते हैं। इसके लिए लगभग 12 एकड़ जमीन चाहिए । साइकिल उपभोक्ताओं के लिए कंपनी अब विशेष शोरूम खोल रही है। अब पटना की बारी है। अगले माह यहां शोरूम खुल जाएगा। इससे लोगों को सहूलियत होगी । इस शोरूम में 4000 से डेढ़ लाख रुपये तक की साइकिलें होंगी। कंपनी ने साइकिल पूर्जा व्यवसाय में भी अपनी उपस्थिति लांग लाइफ स्लोगन के साथ दर्ज कराई है। उन्होंने साफ किया कि साइकिल से बड़ा इसके पुर्जे का व्यवसाय है। लेकिन यह असंगठित है, जिसे कंपनी संगठित शक्ल देना चाहती है। साइकिल खरीदारों को फाइनेंस की सुविधा भी नहीं है। महज एक हजार डाउन पेमेंट करने पर लोग फाइनेंस के जरिए बाइक तो खरीद लेते है लेते हैं लेकिन साइकिल खरीदने के लिए तीन हजार रुपये हाथ में होना चाहिए। कंपनी माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से इस समस्या का निदान करना चाहती है। (साभार : दैनिक जागरण, 6.11.2012)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

वाणिज्य- कर विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 6888, दिनांक 30.10.2012 के द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 5441, दिनांक 12 जुलाई 2012 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में निम्नांकित संशोधन किया गया है:-

1. आउट-टु-आउट ट्रांजिट पास के निर्गमन हेतु निबंधित परिवहनकर्त्ताओं को अपने निबंधन को अपडेट करना होगा एवं नये परिवहनकर्त्ताओं को नया निबंधन प्राप्त करने हेतु विभागीय कम्प्यूटर प्रणाली में (i) परिवहनकर्त्ता का नाम (ii) परिवहनकर्त्ता या परिवहनकर्त्ता कंपनी के मालिक का पैन (PAN) (iii) मोबाईल या दूरभाष संख्या (दोनों में से कोई एक) प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

2. भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल के परिवहन करने के क्रम में बिहार से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों पर परिवहित किये जा रहे मालों के संदर्भ में परिवहनकर्त्ता द्वारा कर मुक्त मालों के परिवहन को छोड़ कर, consignor का TIN एवं consignee का TIN भरा जाना अनिवार्य होगा। कर मुक्त मालों के परिवहन के निमित्त चयन किये जाने पर सिस्टम द्वारा consignor एवं consignee का TIN स्वत: भरा जायेगा।

3. भारत के बाहर से आयात किये जा रहे ऐसे माल जिनका परिवहन बिहार राज्य से होकर किसी अन्य राज्य को किया जा रहा है, के संदर्भ में consignor TIN देने की बाध्यता नही होगी। इसी प्रकार भारत के किसी राज्य से भारत के बाहर मालों के निर्यात के क्रम में यदि मालों का परिवहन बिहार राज्य होकर किया जाता हो तो ऐसे मामले में consignee TIN देने की बाध्यता नही होगी। ऐसे मामलों में यदि परिवहनकर्त्ता द्वारा भारत के बाहर के किसी देश का चयन किया जाता है तो सिस्टम द्वारा consignor एवं consignee का TIN स्वत: भरा जायेगा।

4. आउट-टु-आउट की सुविधा generate करते समय परिवहनकर्त्ता को Entry check-post एवं Exit check-post का नाम चयन कर अंकित करना अनिवार्य होगा।

5. सिस्टम द्वारा प्रतिदिन ऐसे परिवहनकर्त्ताओं के ट्रकों की सूची निकाली जायेगी जो बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने के 72 घंटे से अधिक अवधि तक निकासी check-post से नहीं निकलते हैं।

6. जो पविहनकर्त्ता नेपाल के लिए माल का परिवहन कर रहे हैं अथवा नेपाल से माल को भारत के दूसरे राज्यों में परिवहित कर रहे हैं, द्वारा क्रमश: Exit check-post एवं Entry check-post रक्सौल अथवा जोगबनी मे अवस्थित कस्टम चेक-पोस्टों में से किसी एक कस्टम चेक-पोस्ट पर प्रविष्ट कराया जाना होगा। इस निमित्त संबंधित कस्टम चेक-पोस्ट को विभाग के द्वारा user I.D. एवं password उपलब्ध करा दिया गया है।

7. ऐसे परिवहनकर्त्ता जो एक ही वाहन में एक से अधिक consignee का माल परिवहित कर रहे हैं, को मात्र एक सुविधा generate करना होगा । सुविधा में अलग-अलग consignee के लिए अलग-अलग sub-suvidha number दिए जायेंगे। इन sub-suvidha number को generate करने के लिए consignor एवं consignee एवं consignee के TIN के साथ-साथ वे सभी सूचनाएँ सिस्टम में upload करनी होगी जो सुविधा generate करने के लिए आवश्यक होता है।

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

(साभार : दैनिक जागरण, 6.11.2012)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन 1934 (श०)

(सं० पटना 559) पटना, बुधवार, 17 अक्तूबर 2012

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

16 अक्टूबर 2012

एस०ओ० 191, दिनांक 17 अक्तूबर 2012- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (1993 का बिहार अधिनियम 16) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार -राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय अधिसूचना सं० एस०ओ०95 दिनांक 31 जुलाई, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 28 के बाद निम्न नई क्रम संख्यायें एवं उनकी अनुसार प्रविष्टियाँ निम्नवत् जोड़ी जायेंगी, यथा -

"29.	प्लाईबोर्ड, ब्लैकबोर्ड, फ्लश डोर तथा इनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला लॉग प्लैंक, विनियर नॉन-सॉल टिम्बर	5 प्रतिशत
30.	सिगरेट के निर्माण में व्यवहृत होने वाला कच्चा तम्बाकू	4 प्रतिशत
31.	पाराफीन वैक्स तथा स्लैक वैक्स	5 प्रतिशत"

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 के स्तम्भ 2 की वर्त्तमान प्रविष्टि निम्नवत प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा-

"सिगरेट तथा बीड़ी के विनिर्माण में व्यवहृत होने वाला अविनिर्मित तथा कच्चा तम्बाकू छोड़कर तम्बाकू"।

3. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 8 के स्तम्भ 2 की वर्त्तमान प्रविष्टि निम्नवत प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा-

"न्यूजप्रिन्ट को छोड़कर प्रत्येक प्रकार के कागज जिसमें एक्सरसाईज बुक्स, रद्दी कागज, पेस्ट बोर्ड, कार्ड बोर्ड, मिल बोर्ड, हार्ड बोर्ड, कार्टीज कागज, पैकिंग कागज, कागज के झोले, कार्टून्स, कार्ड्स, सादा रजिस्टर, नोट बुक, लिफाफ, लेबल, लेटर पैड एवं लेखन हेतु प्रयुक्त टैब्लेट्स तथा फ्लैट फाईल्स शामिल है। "

4. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 15 के स्तम्भ 2 की वर्त्तमान प्रविष्टि निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा -

"इस अधिसूचना में अन्यत्र निर्दिष्ट लकड़ी को छोड़कर अन्य ईमारती लकड़ी, सनमाईका, फोरमाईका जिनमे अलंकृत लेमिनेशन एवं लेमिनेटेड शीट्स शामिल है। "

5. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 23 के स्तम्भ 2 की वर्त्तमान प्रविष्टि निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा-

"इस अधिसूचना में अन्यत्र अन्यथा विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ कर सभी पेट्रोलियम पदार्थ।"

6. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

(सं० सं० बिक्री-कर / संशोधन - 03/2012-6771 (अनु०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन 1934 (श०)

(सं० पटना 560) पटना, बुधवार, 17 अक्तूबर 2012

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

16 अक्तूबर 2012

एस०ओ०193, दिनांक 17 अक्तूबर 2012-बिहार मनोरंजन-कर अधिनियम, 1948 की धारा-10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि ऐसा किया जाना राज्य हित में आवश्यक है, बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट के लिए स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उल्लिखित अवधि तक मनोरंजन-कर के भुगतान से विमुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	
1	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह का निर्माण ।	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण मद में अथवा नये छविगृह के निर्माण मद में 31.03.2015 तक रू 01 करोड़ से अधिक परन्तु रू०1.5 करोड़ से कम पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुन: प्रारंभ / प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित / नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)	2 वर्ष

		के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा ।	
2	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल/मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण।	वर्त्तमान छविगृह के उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीरण के मद में अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल / मल्टीप्लैक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण मद में दिनांक 31.03.2015 तक रू०1.5 करोड़ से अधिक परन्तु रू०2 करोड़ से कम का पूँजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ / प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित /नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	3 वर्ष
3	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल / मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण।	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण के मद में अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल /मल्टीप्लैक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण के मद में दिनांक 31.03.2015 तक रू० 2 करोड़ से अधिक परन्तु रू० 3 करोड़ से कम पूँजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ /प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो । 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित /नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	4 वर्ष
4	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल / मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण के मद में अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल / मल्टीप्लैक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण के मद में दिनांक 31.03.2015 तक रू० 3 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ /प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित/नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	5 वर्ष

2. उपर्युक्त सुविधा वह स्वत्वधारी प्राप्त करेगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्य उपलब्ध सुविधा उक्त अवधि के दौरान पूर्व में नहीं प्राप्त किया गया हो।
3. यह अधिसूचना पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं० एस०ओ० 53, दिनांक 18.03.2010 के क्रम में प्रभावी होगी।
4. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(सं०सं०बिक्री-कर /अन्य कर-04 /2012- 6772(अनु0).
बिहार-राज्यपाल के आदेश से ,
सुधीर कुमार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

प्रपत्र "I"

अधिसूचना संख्या एस०ओ० 193 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के अन्तर्गत कर-विमुक्ति हेतु आवेदन ।

1. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता:-
2. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वामित्व, साझेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार, कम्पनी आदि) :-
3. मनोरंजन की प्रकृति :-
4. छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :-
5. विनिर्मित वर्त्तमान छविगृह / नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि :-
6. पूंजी निवेश का परिमाण :-
7. वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने की अनुमानित तिथि:-
8. छविगृह पर बकाये की स्थिति (अगर छविगृह उन्नयन का मामला हो):-

मैं / हम एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरे सर्वोत्तम जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा प्रदर्शन प्रारंभ करने के सात दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गमन करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

तिथि :-
स्थान :-

आवेदक का नाम
स्वत्वधारी /स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम

(आवेदन निजी स्वामित्त्व की स्थिति में व्यवसाय के स्वामी द्वारा, संयुक्त हिन्दु परिवार की स्थिति में कर्त्ता द्वारा, साझेदारी व्यवस्था की स्थिति में प्राधिकृत साझेदार द्वारा, कम्पनी या कारपोरेशन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एवं किसी सोसाइटी, क्लब एसोसियेशन या सरकार के विभाग के स्थिति में प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।)

प्रपत्र II

अधिसूचना संख्या एस०ओ०193 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के अन्तर्गत कर-विमुक्ति हेतु प्रमाण-पत्र

1. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता:-
2. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वामित्व, साझेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार, कम्पनी आदि):-
3. मनोरंजन की प्रकृति:-
4. छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/ मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :-
5. विनिर्मित वर्त्तमान छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि:-
6. पूंजी निवेश का परिमाण:-
7. आवेदन समर्पित करने की तिथि :-
8. अनुज्ञप्ति करने वाले प्राधिकारी पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गमन की तिथि:-
9. कर विमुक्ति की अवधि :-
10. विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम:-

यह विमुक्ति अधिसूचना में दी गयी शर्त्तो के अधीन देय है।

तिथि :-
स्थान :-
कार्यालय का मुहर

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

--------प्रमंडल---------

Hassle-free system to seek clearances

Online click to boost industry

An online system would save interested entrepreneurs and investors from the hassle of running around departments to seek clearances to set up business in the state.

Udyog Mitra, a wing of the industries department, has been directed to facilitate between it and other departments to start an online system through which application forms regarding a particular investment proposal can be sent to the State Investment Promotion Board (SIPB) for approval.

SMOOTH MOVE

EARLIER

- *Investors had to fill up application forms and approach officials of department concerned.*
- *They had to pay application fees through demand draft*
- *They had to run from one department to another to get files cleared*

NOW

- *Investors can fill up application forms on www.udyogmitrabihar.com*
- *They will receive an acknowledgement text*
- *They will have to pay Rs 1000 online as application fee*
- *They can check the status of projects online*

Earlier this week, several direction were issued to Udyog Mitra launched in 2006 , at its first general body meeting headed by principal secretary Afzal Amanullah.

"At present any investor or entrepreneur interested in setting up an industry in the state has to go to the department. Many processes, including filling up of forms and approaching department officials are involved. If the official is not at his seat or is on leave, the file has to wait. This is not a healthy sign for any in vestor, big or small. So the department had directed that this application filling process be made online to save investors from making rounds of the department office. The work regarding the same has been started and will be completed within a fortnight" Anil Kumar Thakur, the chief executive officer of Udyog Mitra, told The Telegraph.

Interested, investor can fill up the online application form on the Udyog Mitra website www.udyogmitrabihar. com. Sources said the SIPB website www.sipbbihar.com has got similar facility but it is cumbersome. The online application filling form will be simpler.

"Apart from this, there will be an online payment system too. One has to pay Rs 1,000 through demand draft for filling the application form. The Udyog Mitra website will have an online payment system and one would not have run to banks to get a demand draft made. Once online payment is made, the investor will get a temper-proof receipt immediately. This would help investors and put an end to problems, which discourage investors at times," Thakur said.

Once the online filling process is over, the investor will receive an acknowledgement text message. "Udyog Mitra is a bridge between the industries department and the other departments and the other departments. It an industrialist has problems with other departments, we help them out. Senior department officials have asked us to speed up and source more hands for the same, "another official said.

Sources said a lot of investors came up with mostly small issues at the Udyami adalat on September 28 and accordingly, strict directions were issued to the department officials to solve them fast.

" There were industrialists whose money was stuck in some other department for years and they had been running from pillar to post to get the work done, " a source said. ***(Source : The Telegraph, 6.10.2012)***

और 101 इकाइयों के निवेश प्रस्ताव मंजूर

पिछले छह वर्षों में सूबे में 939 इकाइयों निवेश के लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं और इन सभी को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से मंजूरी मिल गई है। इन प्रस्तावों से सूबे में करीब पांच करोड़ का निवेश होने की संभावना है । 18 सितंबर को बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश सलाहकार पर्षद की हुई पहली बैठक के बाद 101 इकाइयों में और निवेश प्रस्ताव को मंजुरी दी गई है।

छह बड़े निवेश प्रस्ताव

- इंडियन गैसोहोल लिमिटेड ने कुछ बड़े निवेश प्रस्ताव 13557 करोड़ की लागत से सूबे में इथनाल प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव दिया है।
- द जस इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड ने बांका में 11120 करोड़ की लागत से पावर प्लांट लगाने की अर्जी दी है।
- द सीमेंट मैन्युफैक्चारिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता ने 1650 करोड़ की लागत से कहलगांव में 500 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन इकाई के लिए प्रस्ताव दिया है।

15 सितंबर तक कुल 838 इकाइयों के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, किंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सलाहकार परिषद की बैठक के बाद अब इसमें 101इकाइयां और जुड़ गई हैं। इस तरह 26 सितंबर तक कुल 939 इकाइयों में निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे गई है। फरवरी 2006में सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रस्ताव आया था। नेतरहाट एलुमनी एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से सूबे में इंजीनियरिग कॉलेज के लिए प्रस्ताव आया था। इस निवेश प्रस्ताव के बाद अब तक (26 सितंबर 2012) 939 इकाइयों में निवेश के लिए प्रस्ताव मिला चुका है। सबसे आखिरी में जोनियल पालिमर्स प्रा. लिमिटेड की तरफ से निवेश प्रस्ताव आया है। हाल ही में ग्लोबल सम्मेलन के दौरान पहली बार बिहार आये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने सूबे में 500 करोड़ रुपये की पूंजी से सीमेंट फैक्टरी लगाने की घोषणा की है। बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश पर्षद की बैठक में वेदांता समूह ने भी सूबे में 100 करोड़ का निवेश करने की पहल की है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 27.9.2012)

चीनी उद्योग को करों में मिलेगी छूट

राज्य के चीनी उद्योग को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिहार सरकार करों में भारी छूट देने के बारे में सोच रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस उद्योग के लिए पूंजीगत अनुदान बढ़ाने के बारे में सोच रही है। वहीं, राज्य सरकार चीनी उद्योग के सह उत्पादों (अल्कोहल, एथेनॉल, बिजली और अन्य) के लिए करों में रियायत दे सकती है।

राज्य सरकार के गन्ना विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया, 'चीनी उद्योग राज्य सरकार के लिए काफी अहम है। इस वक्त बिहार देश में गन्ने का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, मिलों के अभाव में चीनी उत्पादन के मामले में हम दूसरे राज्यों से पिछड़ गए हैं, इसलिए राज्य सरकार चीनी मिलों की स्थापना पर इतना जोर दे रही है। उन्होंने कहा, 'राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार करों में रियायत देने के बारे में सोच रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है, जो इस बारे में एक महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी । हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इसके तहत राज्य सरकार ने प्लांट और मशीनरी की खरीद पर 20 फीसदी का पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) दे सकती है, जो इस वक्त महज 10 फीसदी है। वहीं, डिस्टीलरियों के भी इस अनुदान को विस्तारित किया जाएगा। वहीं, बिजली उत्पादन के लिए चीनी मिलों को प्लांट और मशीनरी की खरीद पर राज्य सरकार ने 60 फीसदी तक अनुदान देने की योजना बनाई है। साथ ही, इसके लिए मशीनरी को प्रवेश कर से भी मुक्त रखा जा सकता है। राज्य सरकार ने इन मिलों को 5 साल तक बिजली शुल्क से भी मुक्त करने की भी योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक इस नई नीति के तहत पुरानी चीनी मिलों को बीते 7 साल के बिजली शुल्क की क्षतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार ने बाहर से आने वाली चीनी पर प्रवेश कर लगाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन चीनी मिलों को दिया है।

कुमार ने बताया, "राज्य सरकार ने चीनी मिलों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनके सह उत्पादों के लिए भी बाजार तैयार करने का फैसला लिया है। इसके तहत एथेनॉल के बारे में एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगी। साथ ही, हमने छोआ के मूल्य का निर्धारण करने के लिए भी एक समिति का गठन किया है।"

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 6.11.2012)

बिजली खपत मामले में उत्तर पूर्व के राज्य भी बिहार से आगे

बिहार (122.11), असम (204.80), मणिपुर (240. 22), मेघालय (675.19), नागालैंड (218.03), त्रिपुरा (335.47), अरुणाचल (470.00), मिजोरम (376.99), झारखंड (880.43), ओडिसा (874.26), पश्चिम बंगाल (550.16), अंडमान निकोबार (493.98), सिक्किम (850), गुजरात (1615.24), छत्तीसगढ़ (1546.94), महाराष्ट्र (1028.22), उत्तर प्रदेश (348.37), उत्तराखंड (1112.29), चंडीगढ़ (1651.26), राष्ट्रीय औसत (778.71) (खपत प्रति व्यक्ति यूनिट) (साभार : प्रभात खबर, 1.11.2012)

बिहार सरकार

पटना नगर निगम

आवश्यक सूचना

पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सफाई एवं जल-जमाव से संबंधित शिकायत की सूचना निम्नांकित दूरभाष सं० पर दिया जा सकता है :-

नियंत्रण कक्ष, प्रधान कार्यालय

1	नियंत्रण कक्ष, टॉल फ्री नम्बर	प्रधान कार्यालय	
2	नियंत्रण कक्ष, दूरभाष संख्या	प्रधान कार्यालय	2911135, 2200634 3261372, 3261373

कार्यपालक पदाधिकारी

1	श्री शशांक शेखर सिंहा	का० प०, नूतन राजधानी अंचल	9470488573
2	श्री अनिल प्रसाद	का० प०, कंकड़बाग अंचल	9470488584
3	श्री चन्द्रशेखर आजाद	का० प०, बांकीपुर अंचल	9470488569
4	श्री नरेन्द्र नाथ	का० प०, पटना सिटी अंचल	9470488627

पटना नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक

क्र०	सफाई निरीक्षक का नाम	वार्ड संख्या	मो० नं०
1	श्री किशोरी महतो	मु० सफाई निरीक्षक, नूतन राजधानी अंचल	9470488607 9334083972
2	श्री रविन्द्र कि० मिश्र	मु० सफाई निरीक्षक, कंकड़बाग अंचल	9470488641
3	श्री हरीश कुमार सिंह	मु० सफाई निरीक्षक, बांकीपुर अंचल	9470488576
4	श्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह	मु० सफाई निरीक्षक, पटना सिटी अंचल	9470488574

पटना नगर निगम के सफाई निरीक्षक

नूतन राजधानी अंचल			
1	श्री रामाधार सिंह	1	9470488596
2	श्री सुरेश सिंह	2	9470488597
3	श्री नरेश कुमार	3	9308735075
4	श्री असरफी प्रसाद	4	9470488599
5	श्री लालबिहारी बिंद	5	9470488600
6	श्री रामाधार सिंह	6	9470488596
7	श्री जय प्रकाश सिंहा	7	9470488602
8	श्री रविकामती	8	9470488604
9	श्री उदय शंकर पासवान	9	9740488608
10	श्री रामाशीष पासवान	10	9386281474
11	श्री राकेश कुमार	11	9835057355
12	श्री रामाशीष पासवान	12	9386281474
13	श्री अजय कुमार	13	8083812506
14	श्री बिंदेश्वर सिंह	14	9470488607
15	श्री हरेन्द्र सिंह	15	9470488613
16	श्री कामदेव कुमार	16	9386012115
17	श्री उमेश पासवान	17	9304871633
18	श्री शिव नारायण सिंहा	18	9470488546
19	श्री हरेन्द्र सिंह	19	9470488613
20	श्री रामप्रीत प्रसाद	20	9572010572
21	श्री जय प्रकाश सिंहा	21	9470488602
22	श्री अमीत कुमार	21 ए	9304261113
23	श्री मदन मोहन कुमार	22	9470488618
24	श्री रामानंद सिंह	23	9470488619
25	श्री जितेन्द्र कुमार	24	9334828850
26	श्री राजेश कुमार	25	9835007472
27	श्री हरिकेश प्रसाद श्रीवास्तव	26	9470488612
28	श्री शैलेन्द्र कुमार	27	9334628127
29	श्री जमाल अहमद	28	9470488624
30	श्री विक्रम बैठा	37	9470488623

कंकड़बाग			
31	श्री झलकदेव यादव	29	9470488638
32	श्री रंजन कुमार	30	9470488639
33	श्री चाँदसी प्रसाद	31	9470488609
34	श्री रविन्द्र कि०मिश्र	32	9470488641
35	श्री मिथिलेश शर्मा	33	9931695499
36	श्री अर्जुन बैठा	34	9470488575
37	मो० शाहजहाँ	35	9470488639
38	श्री राजधानी मोची	44	9470488642
39	श्री विरेन्द्र मोहन सिंह	45	9470488646
40	श्री विरेन्द्र मोहन सिंह	46	9470488643
41	मो० बलौउर रहमान	55	8544240087

बांकीपुर अंचल			
42	श्री सतीश मिश्रा	36	9470488628
43	श्री सुरेश प्रसाद यादव	38	9470488633
44	श्री देवचन्द्र पाण्डेय	39	9334956009
45	श्री शिव कुमार ठाकुर	40	9470488629
46	श्री शंभु कुमार यादव	41	9470488630
47	श्री हरीश कुमार सिंह	42	9470488576
48	श्री रामाशंकर शर्मा	43	9470488632
49	श्री दीना प्रसाद	47	9934727527
50	श्री भगवान प्रसाद	48	9334442450
51	श्री अवधेश सिंह	49	9470488635
52	श्री निसार आलम	50	9470488636
53	श्री चन्द्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह	51	9470488637

पटना सिटी अंचल			
54	श्री संजीव कुमार वर्मा	52	9470488649
55	श्री नूरूल अमीन	53	9470488651
56	श्री महेश प्रसाद	54	9470488650
57	श्री रामरतन सिंह	56	9470488652
58	श्री रामरतन सिंह	57	9470488652
59	श्री हरि प्रसाद	58	8002396222
60	मो०अली रहमान	59	9470488644
61	श्री राम प्रवेश पासवान	60	9470488655
62	श्री लालबाबू	61	9470488656
63	श्री शंकर चौधरी	62	9304492385
64	श्री रामचन्द्र प्रसाद	63	9470488658
65	श्री निरंजन प्रसाद	64	9470488659
66	श्री जैनेन्द्र लाल	65	9470488660
67	श्री कृष्ण नारायण शुक्ला	66	9470488667
68	श्री योगेन्द्र प्रसाद राय	67	7277224695, 9470488662
69	श्री कृष्ण नारायण शुक्ला	68	9470488667
70	श्री योगेन्द्र प्रसाद राय	69	7277224695, 9470488662
71	श्री योगेन्द्र लाल	70	9470488665
72	श्री रजिउल हल	71	9470488666
73	श्री कृष्ण नारायण शुक्ला	72	9470488667

मोबाईल दल			
2	मोबाईल दल प्रभारी	डा० महेन्द्र सिंह, सहायक स्वा०पदाधिकारी	9470488565
3	मोबाईल दल-1, नूतन राजधानी अंचल	श्री अनिल कुमार प्रभारी सफाई निरीक्षक	9304261113
4	मोबाईल दल-2, नूतन राजधानी अंचल	श्री जितेन्द्र कुमार प्रभारी सफाई निरीक्षक	9334828850
5	मोबाईल दल-3, बांकीपुर अंचल	श्री सुरेश कुमार प्रभारी सफाई निरीक्षक	9470488637
6	मोबाईल दल-4, कंकड़बाग अंचल	श्री मिथिलेश शर्मा, प्रभारी सफाई निरीक्षक	9931695299
7	मोबाईल दल-5, पटना सिटी अंचल	श्री नूरूल अमीन प्रभारी सफाई निरीक्षक	9470488651

वरीय पदाधिकारी			
1	श्री पंकज कुमार पाल	नगर आयुक्त	9470488578
2	श्री चन्द्रमा सिंह	अपर नगर आयुक्त, सफाई/ राजस्व	9470488562
3	श्री राधा मोहन प्रसाद	अपर नगर आयुक्त, स्थापना/ विधि	9470488560
4	श्री अविनाश कुमार सिंह	कार्यपालक अभियन्ता, नूतन राजधानी अंचल	9334198456
5	श्री राजेन्द्र मिश्रा	कार्यपालक अभियन्ता, नूतन राजधानी अंचल	9006653989
6	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा	कार्यपालक अभियन्ता, बाँकीपुर अंचल	9334782390
7	श्री ललन प्रसाद सिंह	कार्यपालक अभियन्ता, कंकड़बाग अंचल	9470488614
8	श्री गुलाम रब्बानी	कार्यपालक अभियन्ता, पटना सिटी अंचल	9835204587
9	श्री शैलेश चन्द्र दिवाकर	विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना नगर निगम	9470488583
10	श्री हरेन्द्र राम	वरीय उप समाहर्ता, नूतन राजधानी अंचल	9472980337
11	श्री हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा	वरीय उप समाहर्ता, कंकड़बाग अंचल	9135693011
12	श्री निरज कुमार दास	वरीय उप समाहर्ता, पटना सिटी अंचल	9431221897

(साभार : हिन्दुस्तान 25.9.2012) अपर नगर आयुक्त (सफाई), पटना नगर निगम

रिश्तेदारों को ही मिलेगी पावर ऑफ अटॉर्नी

अब सिर्फ रिश्तेदारों को ही मिलेगी जमीन और मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी। राज्य सरकार भू-माफियाओं पर रोक लगाने के लिए जल्द ही निबंधन कानून में संशोधन करने जा रही है।

जमीन माफिया पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सरकार को स्टाम्प और निबंधन शुल्क के रूप में करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। साथ ही इस नियम के दुरुपयोग के कारण राजधानी समेत पूरे सूबे में भूमि विवाद के मामलों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालांकि पटना जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस नियम को लागू कर दिया गया है। जिले में रिश्तेदारों को छोड़कर अन्य लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर रोक लगा दी गई है। इससे सरकारी खजाने को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कैसे होता है दुरुपयोग – माफिया और दलाल जमीन मालिक से पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में जमीन की खरीद कर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। ट्रांजेक्शन फीस भी नहीं चुकाई जा रही है।

क्यों दी जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी – पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की गई, जो निबंधन कार्यालय आने में असमर्थ हैं। बीमार व बाहर रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए यह कानून बनाया गया था।

"पावार ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग के जरिए सरकार को हर साल राजस्व के रूप में करोड़ रुपए की हानि हो रही है। विभाग ने इस पर रोक लगाने के लिए नए कानून का मसौदा तैयार किया है।" – संदीप पौंड्रिक, निबंधन सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.10.2012)

गिरवी संपत्ति बेचने का हक

शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को कर्ज अदायगी में चूक होने पर संपत्तियों की बिक्री में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रदीप कुमार बनाम यूपीएफसी मुकदमे मे एक फर्म ने यूपी फाइनैंशियल कॉरपोरेशन से कर्ज लिया था, लेकिन उसने किस्तों का भुगतान नहीं किया। राज्य वित्त अधिनियम के मुताबिक गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री किए जाने से पहले संपत्ति के मालिक ने उसे दूसरे पक्ष को बेच डाला था और उसके बाद उसकी पुनर्बिक्री भी की गई थी । विवाद होने पर उच्च न्यायालय ने निगम से संपत्ति खरीदने वाले के पक्ष में बिक्री रद्द कर दी। इसके सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निगम को गिरवी संपत्ति बेचने का अधिकार है और ऐसी बिक्री में अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

वाहन पर कब्जा उचित

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया कि यदि कर्ज की किस्त चुकाने में हुई चूक की वजह से कर्जदाता वाहन जब्त करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अपनी ही चीज पर दोबारा कब्जा कर रहा होता है। इसलिए शीर्ष अदालत ने अनूप शर्मा बनाम भोला नाथ मुकदमे में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और फर्म के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। अदालत ने दोहराया कि भुगतान संबंधी विवाद दीवानी है और उसमें आपराधिक शिकायत की गुंजाइश नहीं बनती। कर्जदाता तब तक मालिक रहता है, जब तक बकाये का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

देरी पर माफी

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी उचित कारण से सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपील दायर करने में देरी होती है तो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को उसे नजरअंदाज करने का विवेकाधीन अधिकार है। एम/ एस ठक्कर शिपिंग लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त मुकदमे में न्यायाधिकरण ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 डी (4) के तहत अपील करने में हुई देरी को नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया था क्योंकि निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया गया था। इसके बाद आयुक्त ने गुजरात उच्च न्यायालय का दखाजा खटखटाया, जिसने न्यायाधिकरण के फैसले को पलटते हुए देरी का माफी के लिए आयुक्त को आवेदन की अनुमति दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस नजरिये को बरकरार रखा। (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 05.11.2012)

डी० पी० साबू पंचतत्व में विलीन

सुप्रसिद्ध उद्यमी श्री डी० पी० साबू का शुक्रवार दिनांक ०२ नवम्बर, २०१२ को कलकता के बिड़ला अस्पताल में हृदय रोग की चिकित्सा के दौरान निधन हो गया। वे ८५ वर्ष के थे। साबू जी ने अपनी व्यावसायिक शुरुआत मुजफ्फरपुर में होजियरी के उत्पाद से की और जल्द ही बिड़ला ब्रुप कम्पनी के वॉल बेयरिंग और कागज सहित अन्य उत्पादों के बिहार के वितरक बने। बाद में साबू जी ने हाजीपुर ट्रीडेंट ट्यूबस् नामक एक उद्योग की स्थापना की जिसमें कंडक्टर एवं पाइप का निर्माण होता था। पटना में लॉर्ली सेन एवं होटल रिपब्लिक की स्थापना भी साबू जी ने की। राँची में रौनक ऑटोमोबाइल्स एवं जयपुर में हरि राम पब्लिक स्कूल की भी स्थापना की।

स्व० साबू जी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्ष १९७७-७८ में उपाध्यक्ष थे। वे बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के भी अध्यक्ष थे। इसके अलावे वे कई संस्थाओं से जुड़े थे।

उनके आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने स्व० साबू जी के निधन को व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि श्री साबू जी बिहार के औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तम्भों में थे। यों तो साबू जी नहीं रहे परन्तु उनकी स्मृति सदैव बनी रहेगी।

श्री साह ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवदेना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को चिरस्थायी शांति एवं सद्गति प्रदान करें।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की दिनांक ६ नवम्बर २०१२ को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्व० डी० पी० साबू जी की स्मृति में दो मिनट का मौन रख कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली दी गई।

संक्षिप्त समाचार

- स्लीपर में भी । दिसम्बर से पहचान पत्र जरूरी।
  (साभार : हिन्दुस्तान, 02.11.2012)
- पटना–पूर्णिया के बीच एयर टैक्सी सेवा प्रारंभ।
  (साभार : प्रभात खबर, 06.11.2012)
- आसान हुई जमीन और मकान की रजिस्ट्री, निबंधन विभाग ने जारी किया मॉडल दस्तावेज। रजिस्ट्री ऑफिस 'मे आइ हेल्प यू' काऊंटर पर 10 रुपये देकर माडल दस्तावेज खरीदा जा सकता है।
  (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 02.11.2012)

EDITORIAL BOARD
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296